of a private sector firm for Iron ore mining at Ramanadurga for captive consumption at their Mangalore Steel making facility; and

(b) if so, the status thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF MINES (SHRI BALRAM SINGH YADAV): (a) and (b) The State government of Karnataka has recommended a proposal for grant of mining lease for iron ore and manganese ore over an area of 6.5 Sq.Kms. in Village Ramanadurga of Bellary district in favour of M/s. Jaiprakash Engineering and Steel Co. Ltd. in November, 1992. Certain clarifications necessary under the Mines and Minerals (Regulation and Development) Act, 1957, were sought from the State Government of Karnataka.

**गुजरात में प्राकृतिक संसाधन**

3427. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनका देश के विकास हेतु प्रयोग किया जा सकता है ;

(ख) क्या सरकार की गुजरात में उपलब्ध बहुमूल्य खनिजों और तेल का उपयोग करने की योजनायें हैं ; और

(ग) उन स्थानों के नाम क्या-क्या हैं, जहां पर पिछले एक वर्ष के दौरान प्राकृतिक संसाधनों के नये भंडारों का पता चला है और ये संसाधन क्या-क्या हैं ?

**खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) :** (क) जी हां। धात्विक और गैर-धात्विक खनिज संसाधनों के अलावा, जो प्राकृतिक स्रोत उपलब्ध हैं, उनमें जीवाश्म, ईंधन जैसे तेल और प्राकृतिक गैस तथा भू-जल और हाइड्रो-पावर भी शामिल है।

(ख) गुजरात राज्य सरकार की कच्छ में लिग्नाइट का प्रयोग करके एक गैस आधारित विद्युत संयंत्र स्थापित करने की योजना है। इसके अलावा, गुजरात के तेल और गैस भंडारों का क्रमबद्ध तरीके से विकास और विदोहन किया गया है।

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस आयोग (ओ०एन०जी०सी०) द्वारा किये गये सर्वेक्षण के फलस्वरूप, गुजरात के खम्बेल क्षेत्र में तेल निकला है। इसी प्रकार, भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी०एस०आई०) द्वारा किये गये सर्वेक्षण के फलस्वरूप गुजरात के भड़ूच क्षेत्र में लिग्नाइट स्रोतों का पता लगाया गया है।

**गुजरात में खनिजों का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण किया जाना**

3428. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुजरात में खनिजों का पता लगाने हेतु एक सर्वेक्षण कराने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में गुजरात तथा अन्य राज्यों के के लिये कोई योजना बनाई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) :**

(क) और (ख) : जी हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने गुजरात में वर्ष 1992-93 के दौरान चार खनिज अन्वेषण कार्य आरम्भ किये हैं। उनका ब्यौरा इस प्रकार है:—

1. बनासकांठा जिले में अम्बामाता गहुधातु निक्षेप के विस्तार क्षेत्रों में संरचना, शैल विज्ञान और खनिजीकरण संभावनायें।

2. बनासकांठा जिले के घोड़ा-धनपुरा क्षेत्र में सामरिक खनिजों की खोज।

3. जामनगर जिले की अलेच पहाड़ियों में सोने का पता लगाने के लिये ज्वालामुखी और उसकी संबद्ध चट्टानों का अध्ययन।

4. गुजरात में लिग्नाइट के लिये क्षेत्रीय गवेषण।

(ग) और (घ) जी हां। 8वीं योजना अवधि के दौरान गुजरात और अन्य राज्यों के लिये भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी०एस०आई०) द्वारा तयार किये गये खनिज गवेषण कार्यक्रम का ब्यौरा इस प्रकार है:—

**1. खनिज अन्वेषण :**

**(क) गैर-कोयला खनिज/धातुयें**

1. आधार धातु कार्यक्रम—राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, जम्मू और काश्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, तमिलनाडु, केरल में—46 अन्वेषण।

2. स्वर्ण कार्यक्रम—आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, अरूणाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में — 40 अन्वेषण।

3. टिन-टंगस्टन कार्यक्रम—हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, जम्मू और काश्मीर म— 15 अन्वेषण।

4. प्लेटिनम समूह की धातुओं के लिये कार्यक्रम — तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, जम्मू और काश्मीर में— 9 अन्वेषण।

5. मोलिब्डेनम कार्यक्रम — तमिलनाडु, केरल, मेघालय में—3 अन्वेषण।

6. बहुधातु कार्यक्रम — हरियाणा, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम में — 13 अन्वेषण।

7. हीरा कार्यक्रम — आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में — 8 अन्वषण।

8. पश्चिम बंगाल में उर्वरक खनिज।

9. उड़ीसा, मणिपुर में लौह समूह (क्रोमाइट, मैंगनीज आदि) के खनिज।

10. मध्य प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश में चूना-पत्थर व डोलोमाइट तथा अन्य खनिज।

**(ख) कोयला और लिग्नाइट :**

1. पश्चिम बंगाल और बिहार में दामोदर घाटी कोयला बेसिन (4 परियोजनायें)।

2. पश्चिम बंगाल और बिहार में राजमहल-बीरभूमि मास्टर कोयला बेसिन (2 परियोजनायें)।

3. उड़ीसा और मध्य प्रदेश में महानदी घाटी कोयला बसिन (4 परियोजनायें)।

4. मध्य प्रदेश में सोन घाटी बेसिन (2 परियोजनायें)।

5. महाराष्ट्र में वर्धा घाटी कोयला बेसिन।

6. आन्ध्र प्रदेश में गोदावरी घाटी कोयला बेसिन।

7. तमिलनाड में ईस्ट कोस्ट लिग्नाइट फील्ड।

8. राजस्थान और गुजरात में वैस्ट कोस्ट लिग्नाइट फील्ड।

**राष्ट्रीय खान नीति**

3429. **श्रीमती सुषमा स्वराज :** क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1993 में एक राष्ट्रीय खान नीति की घोषणा की गई थी जिसके अन्तर्गत यूरेनियम, कोयला और कच्चे तेल के अतिरिक्त अन्य सभी खनिजों के खनन कार्य में निजी क्षेत्र की भागीदारी का प्रावधान किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस नीति की घोषणा के पश्चात निजी क्षेत्र के व्यावसायिक संस्थानों ने सरकार के पास अपने-अपने आवेदन भेजे हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस नीति की घोषणा करने से पूर्व सरकार द्वारा भारतीय खानों में खनन कार्य करने हेतु विदेशी संस्थानों को आकर्षित करने के लिये अनेक प्रतिनिधि मंडलों को विदेश भेजा गया था ;

(ङ) यदि हां, तो क्या किसी विदेशी उपक्रम द्वारा कोई पेशकश की गई हैं ;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(छ) यदि निजी क्षेत्र से अभी तक कोई उत्साहजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है, तो इस संबंध में निजी क्षेत्र को आकर्षित करने हेतु सरकार की भावी योजनायें क्या हैं ?

**खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) :** (क) राष्ट्रीय खनिज नीति 5 मार्च, 1993 को इस सदन में प्रस्तुत की गई थी, जिसके अनुसार सरकारी क्षेत्र के लिये विशेष रूप से आरक्षित 13 खनिजों का खनन समाप्त कर दिया गया है।

(ख) और (ग) सभी खनिजों के खनन पट्टों के आवेदन पत्र संबंधित राज्य सरकारों को प्रस्तुत किये जाते हैं, और वे उन पर विचार करती है। यदि माननीय सदस्या, किसी खनिज अथवा राज्य, जिसके बारे में वे जानकारी चाहती हैं, उसका उल्लेख करें, तो उसे संबंधित राज्य सरकार से एकत्र किया जायेगा और सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) से (छ) प्रश्न नहीं उठते।

3430. [*Transferred to 23rd August, 1993*]

**Irregularities in Steel Development Fund Loans**

3431. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government are likely to lose over Rs. 2000 Crore by way of corporate tax